इंदिरा आवास योजना
(आईएवाई)

संक्षिप्त पुस्तिका
जून, 2014

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण आवास प्रभाग)

सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
i.	भूमिका	1
ii.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
iii.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की मुख्य विशेषताएं	2
iv.	नई पहलें	6
v.	आईटी आधारित निगरानी और कार्यान्वयन	8
vi.	शिकायत निपटान	9
vii.	उपलब्धियां	9
viii.	बेहतर कार्य	11

अनुबंध

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य सरकार को उल्लिखित शिकायतों का सार	13
2.	वर्षवार शिकायतें जहां एनएलएम तैनात किए गए थे।	14
3.	वर्ष 2013-14 के दौरान आईएवाई का वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन।	15

इंदिरा आवास योजना

I. भूमिका

सभी यह मानते हैं कि आवास मनुष्य का मूलभूत मौलिक अधिकार है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है कि प्रत्येक नागरिक के पास साफ-सुथरा तथा सुरक्षित मकान होना चाहिए जिसमें वह सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आवास मुहैया कराने से लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और उन्हें विकास के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अधिकांश ग्रामीण परिवार विशेषकर जो उपेक्षित हैं, अपनी कम आय के कारण एक अच्छे मकान का निर्माण नहीं कर पाते और न हीं उन्हें जन-सुविधाएं मिलती हैं। मकानों की भारी कमी के अलावा, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और जर्जर हो चुके मकानों, बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तथा उपद्रव की घटनाओं के कारण तबाह हो चुके मकानों से भी आवास की कमी की समस्या बढ़ जाती है।

ग्रामीण आवास की आवश्यकता को पूरा करना और विशेषकर सबसे अधिक गरीबों के लिए आवास की कमी की समस्या को हल करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सरकार के गरीबी उन्मूलन प्रयासों के भाग के रूप में शुरू किया गया है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है। आईएवाई के अंतर्गत शुरू से लेकर अब तक 1,05,518.85 करोड़ रु. के खर्च से 320.55 लाख मकान बनाए गए हैं।

II. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्ष 1985-86 के दौरान आरएलईजीपी की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) शुरू की गई थी। इसके बाद इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), जो अप्रैल, 1989 में शुरू हुई, की उप-योजना के रूप में जारी रही। कुल जेआरवाई निधियों का 6 प्रतिशत हिस्सा आईएवाई के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किया गया था। शुरूआती वर्षों में आवास योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा बीपीएल श्रेणी के मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के परिवारों की जरूरतों को पूरा करती थी। 1993-94 से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लाभान्वित करने के लिए आईएवाई के दायरे को बढ़ाया गया। दिनांक 01 जनवरी 1996 से आईएवाई को जेआरवाई से अलग करके इसे एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया। अब यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है,जो गरीब परिवारों को अपने मकान के सुनिश्चित पते का गौरव प्रदान करके अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करने की ग्रामीण गरीबी उपशमन की व्यापक कार्यनीति के तहत चलाया जा रहा है।

बीते वर्षों के दौरान आईएवाई के तहत दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है-

वर्ष	आईएसाई के तहत दी गई वित्तीय सहायता	
	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय/दुर्गम/समेकित कार्य योजना क्षेत्र
1985-86	10,000 रूपए	10,000 रूपए
1990-91	12,700 रूपए	14,500 रूपए
1994-95	14,000 रूपए	15,800 रूपए
1996-97	20,000 रूपए	22,000 रूपए
2004-05	25,000 रूपए	27,500 रूपए
2008-09	35,000 रूपए	38,500 रूपए
2010-11	45,000 रूपए	48,500 रूपए

III. योजना की मुख्य बातें

(i) आईएवाई के अंतर्गत सहायता के घटक और आबंटन के मानदंड इस प्रकार हैं :

क. नए मकान के निर्माण के लिए सहायता
ख. कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकान का उन्नयन
ग. आवास स्थल का प्रावधान

बीपीएल परिवार को आईएवाई के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से नए मकान के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रूपए और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रूपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आईएवाई

निधियों का उपयोग कच्चे मकान के उन्नयन के लिए भी किया जा सकता है, जिसके लिए प्रति मकान 15,000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है। भूमिहीन गरीबों को आवास स्थलों की खरीद के लिए 20,000 रूपए की सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य जैसी प्रत्येक श्रेणी की बीपीएल आबादी में बेघर लोगों का अनुपात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तथा राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से जिलों, ब्लॉकों तथा जहां कहीं राज्य चाहें वहां ग्राम पंचायतों को आईएवाई निधियों के आबंटन का मानदंड होगा। मंत्रालय पिछली जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी को 75 प्रतिशत और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) की संख्या को 25 प्रतिशत वेटेज देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक आबंटन निर्धारित करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर इन निधियों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जाता है और इस निधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अनुपात समय-समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय तय करता है तथा इस अनुपात को लक्ष्यों में दर्शाता है। वर्ष 2011-12 से कुल आईएवाई आबंटन का 60 प्रतिशत पृथक बजट शीर्षक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत निधियां अलग से निर्धारित की जाती हैं। राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3 प्रतिशत आईएवाई मकान विकलांग लाभार्थियों को दिए जाएं। निधियों का यह निर्धारण मात्र न्यूनतम सीमा है, जिसका अनुपालन राज्यों को करना चाहिए और यदि वे चाहें तो इन श्रेणियों के लिए लक्ष्य बढ़ा भी सकते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत लक्ष्य अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लक्ष्य परस्पर परिवर्तनीय हैं।

मकान का निर्माण कार्य स्वयं लाभार्थी को करना चाहिए। आईएवाई के अंतर्गत मकानों के निर्माण कार्य में किसी भी ठेकेदार को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभालने में अक्षम तथा सहायता के लिए लिखित आवेदन देने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के अत्यंत वृद्ध व्यक्तियों और विकलांगों के मामलें में निर्माण कार्य सरकारी एजेंसियों की सहायता से कराया जा सकता है। सरकारी विभाग या एजेंसियां लाभार्थियों की सुविधा के लिए तकनीकी सहायता दे सकती हैं और सामग्री की समन्वित आपूर्ति की व्यवस्था कर सकती हैं। राज्य उपयुक्त डिजाइन, प्रौद्योगिकी और सामग्री अपनाने में सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सीएसओ, संस्थाओं और एजेंसियों को मान्यता प्रदान कर सकते हैं।

(ii) विशेष परियोजनाएं : कुल बजट के 95 प्रतिशत का उपयोग नए मकानों के निर्माण, मकानों के उन्नयन तथा आवास स्थलों के प्रावधान और प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति से संबंधित घटकों के लिए किया जा सकता है। शेष 5% विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित निधि के रूप में केन्द्रीय स्तर पर रखा जाता है, जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है :-

- प्राकृतिक आपदाओं और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों का पुनर्वास
- अभावग्रस्त जनजातीय समूहों, एफआरए लाभार्थियों, बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों के परिवारों का व्यवस्थापन
- अपने-अपने व्यवसायों के कारण होने वाली बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास
- पर्यावरण के अनुकूल, उपयुक्त और स्थानीय रूप से संगत प्रौद्योगिकी दर्शाने के लिए मकान का निर्माण

मंत्रालय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ हर वर्ष राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशेष परियोजनाएं भी स्वीकृत करेगी।

(iii) प्रशासनिक व्यय : रिलीज की गई निधियों में से 4% निधियों का उपयोग प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है और इन निधियों में से 0.5 प्रतिशत निधियां राज्य स्तर पर रखी जा सकती हैं तथा शेष निधियों का संवितरण जिलों को करना होता है। प्रशासनिक व्यय की निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:-

- आईईसी कार्यकलाप, एमआईएस मूल्यांकन अध्ययन
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- क्षमता विकास पहल
- प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन

प्रशासनिक व्यय की निधियों में भी केंद्र और राज्य सरकारें उसी अनुपात में योगदान करेंगी, जो कार्यक्रम संबंधी व्यय पर लागू है।

(iv) वित्त पोषण और रिलीज़ : आईएवाई योजना की लागत को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में संपूर्ण आईएवाई निधियां केंद्र सरकार प्रदान करती है। मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराने की लागत 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी लागत भारत सरकार वहन करती है।

राज्य सरकारों के लिए आईएवाई के तहत रिलीज की जाने वाली निधियां वर्ष 2014-15 से राज्य सरकारों की समेकित निधि को अंतरित की जाएंगी। अब राज्य सरकारों को उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखा-परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी तथा पूर्ववर्ती रिलीजों के दौरान लगाई गई शर्तों का अनुपालन करना होगा। आईएवाई निधियों के लिए समर्पित बैंक खाते का उपयोग करना होगा तथा सीपीएसएमएस पर उसी खाते का पंजीकरण करना होगा। वार्षिक आबंटन दो किस्तों में रिलीज किया जाएगा। पहली किस्त में 50 प्रतिशत वार्षिक आबंटन रिलीज किया जाएगा और दूसरी किस्त में पहली किस्त की राशि तथा अनुप्रयोज्य कटौतियां घटाकर शेष वार्षिक आबंटन रिलीज किया जाएगा।

केंद्र सरकार से केंद्रीय अंश की राशि प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर वह राशि आईएवाई के लिए समर्पित डीआरडीए/जिला पंचायत बैंक खाते को रिलीज की जाएगी और ऐसा न होने पर राज्य को देरी की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर पर वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। केंद्रीय अंश रिलीज करने के 15 दिनों के भीतर सदृश राज्य अंश रिलीज करना होता है।

राज्य सरकार को केंद्रीय अंश की राशि के अनुरूप अपने हिस्से की पूरी राशि तथा 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय में अपने हिस्से की राशि रिलीज करनी होगी तथा राज्यों को जिलों के बीच उसका आबंटन केंद्रीय अंश की रिलीज के 15 दिनों के भीतर करना होगा। लाभार्थियों को तीन किस्तों में निधियां रिलीज की जानी चाहिएं। प्रत्येक किस्त की रिलीज को निर्माण कार्य के चरणों के समापन से जोड़ा जाना चाहिए।

IV. **नए उपाय**

आईएवाई योजना को लचीला बनाने के उद्देश्य से इस योजना के दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2013 से संशोधित किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश तैयार करने से पहले राज्यों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था। किए गए प्रमुख नए उपाय इस प्रकार हैं :-

- **<u>कमजोर वर्गों को प्राथमिकता:</u>** सर्वाधिक कमजोर वर्गों की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पात्र बीपीएल परिवारों में निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए -
  - मैला ढोने वालों और बंधुआ मजदूरों के परिवार
  - एकलौती बेटी वाले परिवार
  - शारीरिक तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति
  - किन्नर
  - सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए रक्षा/अर्धसैनिक/पुलिसबलों के कार्मिकों की विधवाएं/निकटवर्ती परिजन (यदि बीपीएल न भी हों)
  - कुष्ठ या कैंसर रोगी सदस्य वाले परिवार
  - एचआईवी संक्रमित व्यक्ति
- **<u>4 प्रतिशत प्रशासनिक लागत :</u>** आबंटित निधियों का 4 प्रतिशत प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिए पहली बार निर्धारित किया गया है।
- **<u>सामाजिक लेखापरीक्षा :</u>** कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों का निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर वर्ष कम से कम एक बार सामजिक लेखापरीक्षा कराएं। चयन, निर्माण कार्य के समापन, समय-सीमाओं और सहायता राशि, प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं, शिकायत निपटान इत्यादि से संबंधित प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का सत्यापन करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा दलों तथा संसाधन व्यक्तियों का निर्धारण करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस विषय में विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

- **<u>विशेष परियोजनाएं :</u>** पात्र परिवारों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष परियोजनाओं के प्रावधान का विस्तार करके आगे दर्शायी गई अतिरिक्त श्रेणियों को शामिल किया गया है -

  - अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों के विस्थापित परिवार
  - एफआरए से लाभान्वित परिवार
  - प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए निर्मित मकान
  - प्राकृतिक आपदाओं और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित परिवार
  - अत्यधिक अभावग्रस्त जनजातीय समूहों के परिवार
  - अपने-अपने व्यवसायों के कारण होने वाली बीमारियों या महामारी से प्रभावित व्यक्ति/परिवार

- **<u>दुर्गम क्षेत्रों के निर्धारण में छूट :</u>** फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखंड और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 82 जिलों को दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्र माना गया है। ये राज्य/जिले प्रति मकान 75,000 रूपए की दर से आईएवाई मकान की स्वीकृति के पात्र हैं। नए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसे दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण कर सकते हैं, जहां सामग्री की कम उपलब्धता, सड़क-संपर्कों की कमी, विपरीत भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों जैसे कारणों से निर्माण कार्य की लागत बहुत बढ़ जाती है। इस प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत को इकाई माना जाए और राज्य मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति के एकबारगी अनुमोदन के लिए अपने प्रस्ताव पर्याप्त औचित्य दर्शाते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

- **<u>उपयुक्त भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां:</u>** राज्यों को स्थानीय सामग्री के उपयोग को ध्यान में रखकर अपने आप से उपयुक्त भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां निर्धारित करनी चाहिएं तथा मकानों के डिजाइन तैयार करते समय भौगोलिक और मौसमी कारकों और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों का समाधान करना चाहिए। मकानों के निर्माण में पूर्व निर्मित संरचनाओं का प्रयोग, पहले से प्रयुक्त निर्माण सामग्री का पुन: उपयोग किए जाने, रियायती दरों पर भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर विचार करके इन्हें लाभार्थियों की सुविधा के लिए अपनाया जाना चाहिए। उन तंग बस्तियों में

बहुमंजिला मकानों के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए, जिनमें जमीन की कीमत बहुत अधिक है, लेकिन इन मकानों की मंजिले तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- **<u>तालमेल :</u>** मकान केवल निवास स्थान नहीं होता है, बल्कि ग्रामीण परिवार की सामाजिक-आर्थिक संपत्ति होता है। ग्रामीण विकास की व्यापक कार्यनीति का उद्देश्य सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, बिजली, सड़क, स्कूलों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान के साथ पर्यावरण के अनुकूल पर्यावास उपलबध कराना है। कार्य योजना के अनुसार तालमेल संबंधी उपायों के पर्यवेक्षण और देखरेख के राज्य स्तरीय तंत्र का सुझाव दिया गया है। आईएवाई लाभार्थियों को मनरेगा योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आरएसबीवाई, आम आदमी बीमा योजना, एनएसएपी इत्यादि जैसी योजनाओं के माध्यम से सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए निर्मल भारत अभियान के साथ तालमेल को अनिवार्य प्रावधान बनाया गया है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं।

- **<u>क्षमता विकास :</u>** कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्यों को व्यापक क्षमता विकास योजना तैयार करनी चाहिए, जिसके घटक इस प्रकार हों :
    - जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण;
    - जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों का प्रशिक्षण;
    - राज मिस्त्रियों और अन्य सहायक मजदूरों का प्रशिक्षण;
    - स्व-सहायता समूहों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, पंचायत कर्मियों का प्रशिक्षण;
    - गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं का प्रशिक्षण;

इस कार्य में राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की निर्धारित संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है।

'ग्रामीण आवास ज्ञान नेटवर्क' भी जुलाई 2012 में आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण आवास के किफायती और स्थायी समाधानों से संबंधित कर्मियों, संस्थाओं और पद्धतियों की जानकारियों का अद्यतन किए जाने योग्य राष्ट्रव्यापी संकलन तथा सार्वजनिक क्षेत्र में एक बहुभाषी वेबपोर्टल तैयार करना है। इस परियोजना की अवधि दो वर्ष थी, जिसमें व्यवसायियों और संस्थाओं से संबंधित जानकारियों का संकलन, डिजाइन संबंधी व्यापक प्रौद्योगिकीय रूपरेखाएं, ग्रामीण आवास परियोजनाओं के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के उदाहरण, अच्छी/सर्वमान्य पद्धतियां और नए प्रयोग, वेब पोर्टल तथा शिक्षण संबंधी आदान-प्रदान नामक 6 विशिष्ट व्युत्पाद्य शामिल थे। www.ruralhousingnetwork.in पर वेबसाइट को देखा जा सकता है।

यह आदान-प्रदान पर आधारित ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसे ग्रामीण आवास के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के सहयोग से तैयार किया गया है तथा वे स्टेकहोल्डर इसका उपयोग भी करते हैं। देश के विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों में जमीनी स्तर के मुद्दों को समझने के लिए आरएचकेएन मकान मालिकों, राजमिस्त्रियों, पंचायतों, जिलों और राज्य सरकारों, एनजीओ, व्यवसायी निकायों और शैक्षिक जगत से सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रहा है। अभी तक इस उद्देश्य के लिए देश के विभिन्न भागों में 13 विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

वर्ष के दौरान त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में **'ग्रामीण आवास सवाल, जवाब एवं संवाद'** के रूप में विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन विचार-विमर्श कार्यक्रमों में आईएवाई लाभार्थी, पीआरआई, सरकारी अधिकारी शामिल हुए। वहां प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया और आरएचकेएन टीम और प्रौद्योगिकीय व्यवसायियों ने लाभार्थियों के प्रश्नों के जवाब में उनकी समस्याओं के समाधान सुझाए।

V. आईटी आधारित निगरानी और कार्यान्वयन

आवाससॉफ्ट

आवास सॉफ्ट वर्कफ्लों पर आधारित ऐसी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है, जो अपने लक्ष्य निर्धारण और निधि प्रबंधन मॉड्यूलों के माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया का ब्यौरा दर्शाने के लिए तैयार की गई है। लाभार्थी प्रबंधन मॉड्यूल में लाभार्थी और उसके लिए सहायता राशि की स्वीकृति की स्थिति का ब्यौरा दर्शाया गया है। इस प्रणाली से तैयार होने वाली तात्कालिक रिपोर्टें प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग की उपयोगी साधन है। यह प्रणाली जुलाई, 2010 में शुरू की गई थी।

रिपोर्टें सार्वजनिक की जाती हैं, ताकि सभी नागरिकों को अपने क्षेत्र में इस योजना की प्रगति की जानकारी मिल सके। इस प्रणाली में शिकायतें दर्ज करने और उन पर की गई कार्रवाई

की स्थिति दर्शाने के लिए ऑन लाइन शिकायत निपटान प्लेटफार्म का प्रावधान भी है। इस सॉफ्टवेयर में लाभार्थियों से संबंधित समस्त संगत जानकारी दर्शाई गई है, जिसमें लाभार्थियों की श्रेणी, आधार संख्या इत्यादि शामिल है। विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन मकानों के फोटोग्राफ अपलोड करने का प्रावधान है।

विगत वर्षों में इस एमआईएस का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इस प्रणाली में 27.63 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है और वर्ष 2013-14 में आवास सॉफ्ट के माध्यम से 21.83 लाख मकानों को स्वीकृत किया गया। इस प्रणाली से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। राज्य अपनी ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एनआईसी की सहायता से मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चरणों में राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इसके अतिरिक्त जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए मांग पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, प. बंगाल तथा त्रिपुरा में आयोजित किए गए। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम एसआईआरडी, गुवाहाटी में आयोजित किया गया।

कुशल और समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, समय-समय पर राज्यों सरकारों के अधिकारियों के साथ आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों तथा मंत्रालय के अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों और राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं जैसे अन्य तंत्रों के माध्यम से इस योजना की निरंतर निगरानी की जाएगी।

VI. शिकायत निपटान :

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायतें कार्रवाई के लिए संबधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। संबंधित राज्य सरकारों को एक महीने में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर शिकायतों के मामले में शिकायत की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम) नियुक्त किए जाते हैं मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायतों की स्थिति का ब्यौरा नियमित रूप से आईएवाई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली है।

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वर्ष-वार राज्य सरकार को भेजी गई शिकायतों का सार तथा वर्ष वार शिकायतें जिनके लिए एनएलएम नियुक्त किए गए थे, का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

VII. उपलब्धियां :

11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना	वर्ष	कुल आवंटन (सी+एस) (करोड़ में)	कुल रिलीज (सी+एस) (करोड़ में)	कुल उपलब्ध निधियां (करोड़ में)	उपयोग (करोड़ में)	उपयोग का प्रतिशत	वास्तविक लक्ष्य (लाख में)	वास्तविक उपलब्धियां (लाख में)	उपलब्धियों का प्रतिशत
11वीं पंचवर्षीय योजना	2007-08	5374.19	5175.10	6527.17	5464.54	83.72	21.27	19.92	93.65
	2008-09	7523.85	11727.04	14460.35	8348.34	57.73	21.27	21.34	100.32
	2009-10	11131.59	11316.90	15852.34	13292.46	83.85	40.52	33.86	83.55
	2010-11	13181.32	13295.22	17956.54	13465.73	74.99	29.09	27.15	93.36
	2011-12	12436.47	12920.36	19159.30	12926.33	67.47	27.27	24.71	90.64
12वीं पंचवर्षीय योजना	2012-13	13776.21	9776.48	16172.34	12177.25	75.30	30.10	21.85	72.62
	2013-14	18210.20	14420.97	16951.94	10278.87	60.64	24.80	15.62	62.99

. वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	**राज्य**	**जिलों की संख्या**	**मकानों की संख्या**	**आवंटित राशि (रु. करोड़ में)**
1.	उत्तराखंड	5	5000	रु. 14.06
2.	छत्तीसगढ़	33	63,349	रु. 350.77
3.	उत्तर प्रदेश	1	2904	रु. 15.25
4.	मणिपुर	1	2483	रु. 16.76
5.	अरुणाचल प्रदेश	3	3111	रु. 21.00
6.	त्रिपुरा	8	11,913	रु. 80.40
7.	ओडिशा	14	43,838	रु. 203.74
8.	तमिलनाडु	2	34,380	रु. 180.54
9.	हिमाचल प्रदेश	1	313	रु. 1.76
10.	राजस्थान	1	94	रु. 0.51

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा किया गया वर्ष-वार आवंटन निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**वर्ष**	**आवंटन (करोड़ में)**
1.	2012-13	रु. 11075.00
2.	2013-14	रु. 13894.90
3.	2014-15	रु. 16000.00
4.	2015-16	रु. 17127.50
5.	2016-17	रु. 17127.50

इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ग्रामीण आवास हेतु कुल बजटीय परिव्यय 16,000 करोड़ रुपए है और वास्तविक लक्ष्य 25.19 लाख मकान बनाने का रखा गया है।

भारत निर्माण

ग्रामीण आवास भारत निर्माण का एक घटक है जिसे ग्रामीण अवसंरचना के लिए समयबद्ध कार्य योजना के रूप में 2005 में शुरू किया गया था। भारत निर्माण के चरण- I में आईएवाई (2005-2009 की अवधि में) के अंतर्गत 60 लाख मकानों का निर्माण किया जाना था। इसकी तुलना में 21720.39 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 71.76 लाख मकानों का निर्माण किया गया।

भारत निमार्ण के चरण-II में आईएवाई के तहत 120 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में 62042.25 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 121.31 लाख मकान निर्मित किए गए।

वर्ष 2013-14 में वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

VIII सर्वोत्तम कार्य

(1) राज्य संसाधनों से अतिरिक्त सहायता

बहुत से राज्यों में आईएवाई लाभार्थियों ने 5000/- रुपए से 3.15 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्राप्त की। ब्यौर निम्नानुसार है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**दी गई सहायता**
आंध्र प्रदेश	रु. 30,000 अनु.जाति के लिए रु.. 35,000 अनु.जनजाति के लिए
गोवा	रु.. 25,000
हरियाणा	रु.. 11,000
कर्नाटक	रु.. 50,000
केरल	रु.. 1,30,000 अनु.जाति एवं सामान्य वर्ग के लिए रु.. 1,80,000 अनु.जनजाति के लिए
महाराष्ट्र	रु.. 25,000
राजस्थान	रु.. 5,000
सिक्किम	रु.. 3,25,000
तमिलनाडु	रु.. 50,000
पुदुचेरी	रु..30,000

(2) आवासीय एजेंसियां/निगम

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक निगम द्वारा किया जाता है। इन निगमों ने सामग्री की केंद्रीकृत खरीदारी और पूर्ति की शुरूआत की और ये निगम निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। किस्तों की रिलीज सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर दी जाती है और यह रिलीज मकानों के निर्माण की प्रगति वाले जिओटेगड फोटोग्राफ के माध्यम से रिकॉर्ड की गई जानकारी से जुड़ी होती हैं जिसमें निगरानी की सुदृढ प्रणाली भी शामिल है।

(3) गुणवत्ता संबंधी जानकारी

- तमिलनाडु में आईएवाई इकाईयों के निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जरूरतमंद लाभार्थियों को अस्थायी रूप से आश्रय उपलब्ध कराया जाता है।

- तमिलनाडु सरकार आईएवाई लाभार्थियों के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री का फिर से उपयोग कर ग्रीनहाउस के निर्माण को भी प्रोत्साहित करती है। अपने कार्य निष्पादन, वित्तीय आबंटन, व्यय के स्तर आदि की जानकारी प्रस्तुत करके ग्राम सभा में पारदर्शी तरीके से सामाजिक लेखा परीक्षा की जाती है।
- मुख्यमंत्री के ग्रामीण आवास मिशन (सीएमआरएचएम) के अंतर्गत, सिक्किम राज्य सरकार का उद्देश्य 2015 तक राज्य में गरीबों की आवासीय स्थिति में गुणात्मक सुधार करके राज्य को कच्चे मकानों से मुक्त राज्य का दर्जा दिलाना है।

सीएमआरएचएम गांव के सभी वर्गों से नगद या अन्य रूप में सह-वित्तपोषण करके सामुदायिक सहायता की परंपरा पर आधारित है ।

राज्य सरकार को भेजी गईं शिकायतों की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य	2012-13	2013-14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	असम	4	3
3.	बिहार	20	18
4.	छत्तीसगढ़	0	0
5.	गुजरात	2	0
6.	हरियाणा	0	2
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2	0
9.	झारखंड	3	1
10.	कर्नाटक	0	0
11.	केरल	0	0
12.	मध्य प्रदेश	2	1
13.	महाराष्ट्र	1	1
14.	मणिपुर	0	0
15.	ओडिशा	1	0
16.	पंजाब	0	0
17.	राजस्थान	0	0
18.	तमिलनाडु	0	0
19.	त्रिपुरा	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	1	17
21.	उत्तराखंड	1	0
22.	पश्चिम बंगाल	0	2
	कुल	37	45

उन शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा जिनके लिए एनएमएल तैनात किए गए हैं।

क्र. सं.	राज्य	2011-12	2012-13
1	असम	1	0
2	बिहार	4	0
3	गुजरात	0	1
4	झारखंड	0	1
5	मध्य प्रदेश	0	0
6	पंजाब	0	1
7	उत्तर प्रदेश	2	0
8	त्रिपुरा	1	0
	कुल	**8**	**3**